निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 28/अपील/20

प्रभूलाल आ0 राधाकिशन कुल्मी नि0 धरोनिया तहसील पिड़ावा (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिड़ावा (रेस्पो0)

अपील बनाराजी निर्णय तहसीलदार पिड़ावा दिनांक 11.06.2020

मिसल न0 05/20

उपस्थित:– श्री क्षमेन्दसिंह झाला अभिभाषक अपीलान्ट

पैरोकार सरकार

–: निर्णय :– दिनांक: 03.09.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा के आदेश दिनांक 11.06.2020 जो मिसल न0 08/2020 पर दिया गया जिसमें अपीलान्ट को ग्राम धरोनिया की 1285 एवं ख0न0 702 की कुल 02 बीघा पर अतिकमी मानकर बेदखल करने एवं 50/–रू. जुर्माना वसूल करने का निर्णय पारित किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मेमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला विधि विरूद्ध,प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त एवं पत्रावली संग्रह सार के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अतिकमी मानकर भारी भूल की है ऐसा कोई पर्याप्त एवं सफल दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है जिसके आधार पर अपीलान्ट को अतिकमी माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नही देकर हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए सजायाब किया है, अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिकमण नही है पूर्व में ही कब्जा छोड़ चुका है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मेमों की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने पेनल्टी की राशि जमा करवादी है व आराजी पर से कब्जा भी छोड दिया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा गे0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिकमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट का अतिकमण उक्त आराजी पर से हटा दिया गया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा गे0मु रास्ता की भूमि पर अतिकमण किया गया है और इस तरह के अतिकमण को किसी भी सूरत में उचित नही कहा जा सकता। चूंकि उक्त द्वारा किया गया अतिक्रमण तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार हटा दिया गया है किन्तु अपीलान्ट को उक्त रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण तो साबित है। ऐसी स्थिति में इस निर्णय के माध्यम से अपीलान्ट को किसी भी तरह की राहत दिया जाना हमारी राय में उचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है, अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 को मेरें द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
झालावाड़